प्रकाशन संख्या—५४

राज्य हिन्दी संस्थान उत्तर प्रदेश, वाराणसी

लोकोक्ति एवं मुहावरे

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

उ त्त र प्र दे श

प्रकाशन संख्या—५४

लोकोक्ति एवं मुहावरे

(माध्यमिक स्तर की पाठ्य-पुस्तकों पर आधारित)

राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश

वा रा ण सी

१९८७

विषय सूची

दो शब्द

गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्य की विविध विधाओं में रचयिता अपनी भावना और अपना विचार व्यक्त करता है। इस अभिव्यक्ति को सफल बनाने में रचनाकार की भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। शब्द-प्रयोग, वाक्य-रचना, लोकोक्ति और मुहावरा –प्रयोग के द्वारा भाषा को सँवारा जाता है। सफल अभिव्यक्ति में सक्षम भाषा का प्रयोग करने वाला साहित्यकार प्रशंसित होता है।

विद्यालयों में भाषा-शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं। शुद्ध भाषा का प्रयोग कर विद्यार्थी भावाभिव्यक्ति में समर्थ हो सके, यह भी एक उद्देश्य है। माध्यमिक स्तर की पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त लोकोक्तियों व मुहावरों का अध्ययन भी भाषिक-अध्ययन का ही एक स्वरूप है। राज्य हिन्दी संस्थान, उ०प्र०, वाराणसी के शोध कार्यक्रमों के अंतर्गत इस विषय पर शोध किया गया है। उसके निष्कर्ष को संस्थान की प्रकाशन संख्या ५४ के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि यह पुस्तक हिन्दी के पाठकों व शिक्षकों के लिए उपयोगी होगी।

गोविन्द नारायण मिश्र
निदेशक
राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं,
अनुसन्धान परिषद, उ० प्र०
लखनऊ।

प्राक्कथन

भाषा मौखिक हो या लिखित उसका मुख्य धर्म है, भाव-सम्प्रेषण। जिस कवि या लेखक की भाषा में भाव-सम्प्रेषण की जितनी अधिक क्षमता होती है, वह उतना ही महान माना जाता है। हमारा छात्र अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सफल हो, इस धारणा से हम उसे भाषा में प्रवीण बनाना चाहते हैं। इसी दृष्टि से छात्र-छात्राओं को वाक्य-रचना सम्बन्धी जानकारी दी जाती है। वाक्य में क्रम का महत्त्व, बीज वाक्य व उसका विस्तार आदि प्रकरणों पर विचार किया जाता है और छात्र-छात्राओं से विविध प्रकार की रचनाएँ करायी जाती हैं।

हमारी पाठ्य-पुस्तकों में संकलित गद्य-पाठों की भाषा से हमारा विद्यार्थी समाज भाव-सामग्री तो प्राप्त करता ही है, उनकी रचना-प्रक्रिया से भी प्रभावित होता है।

लेखकों की रचनाओं में प्रयुक्त लोकोक्तियों और मुहावरों से परिचित होकर वह स्वयं इनके प्रयोग में रुचि लेने लगता है। माध्यमिक स्तर की हमारी पाठ्य-पुस्तकों में यथा सन्दर्भ लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इसका अध्ययन राज्य हिन्दी संस्थान के शोध प्रवक्ता डा० शोभनाथ त्रिपाठी ने किया है।

संस्थान की प्रकाशन संख्या ५४ के रूप में इस पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। विश्वास है कि यह पुस्तक हिन्दी के छात्रों, पाठकों व शिक्षकों के लिए लाभप्रद होगी।

डा० मत्स्येन्द्रनाथ शुक्ल
निदेशक
राज्य हिन्दी संस्थान उ० प्र०,
वाराणसी।

विषय प्रवेश

उद्भव एवं विकास की दृष्टि से निश्चय ही मुहावरों का प्रयोग लोकोक्तियों से पहले ही आरंभ हुआ है। भाषा का प्रारंभिक रूप अभिधा प्रधान ही रहता है। लाक्षणिक और अभिव्यंजनात्मक प्रयोग बाद में आते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों के बराबर चलते रहने पर जन साधारण में प्रचलित कुछ उक्तियाँ विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाती हैं। उन रूढ़ उक्तियों को ही बाद में कहावत या लोकोक्ति का नाम मिला है। लोकोक्तियों में जनसाधारण के दैनिक अनुभव और कार्यव्यापार स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं। इनका आधार कोई घटना विशेष या ठोस विचार ही होता है। ठोस विचार साधारण विचारों के बाद ही पनपते हैं। अतः विवेचन के क्रम में यहाँ मुहावरों को पहले लिया जा रहा है।

यहाँ एक बात और है—वह यह कि 'लोकोक्ति' शब्द में बड़ी व्यापकता है इसीलिए 'कहावत' के स्थान पर शीर्षक में 'लोकोक्ति' संज्ञा रखना अधिक उपयुक्त समझ पड़ा। जनसाधारण के भाव, विचार और अनुभव ही सहज प्रयोगों के रूप में न आकर, लाक्षणिक प्रयोगों में ढलकर मुहावरे बनते हैं। इस प्रकार मुहावरे भी लोकोक्ति की व्यापकता में समा जाते हैं।

यहाँ सर्वप्रथम मुहावरों पर प्रकाश डाला जा रहा है उसके बाद लोकोक्तियों पर। लोकोक्ति और मुहावरे को प्रायः कुछ लोग एक जैसा समझ लेते हैं। अनेक पुस्तकों में भी इस प्रकार की भूलें देखने को मिल जाती हैं, जहाँ मुहावरों में लोकोक्ति और लोकोक्ति में

मुहावरों का प्रयोग समाहित कर दिया गया है। प्रस्तुत विवेचन से इस प्रकार की भ्रान्तियों का सहज ही निवारण हो जायगा। साथ ही मुहावरों के प्रयोग के सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टि भी बन सकेगी।

मुहावरा : अर्थ एवं परिभाषा

मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, जो 'परस्पर बातचीत या सवाल-जवाब' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका शाब्दिक अर्थ 'मुँह पर चढ़ी हुई बातें' है। इसके लिए उर्दू में 'तर्जे कलाम' 'इस्तलाह' और 'रोज़मर्रा' का भी नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसके लिए 'ईडियम' शब्द का प्रयोग होता है। संस्कृत साहित्य में इसके लिए किसी आम प्रचलित शब्द का व्यवहार नहीं हुआ है। फिर भी कहीं-कहीं 'वाग्रीति' या 'वाग्धारा' शब्द से मुहावरों को अभिव्यंजित किया गया है। किन्तु इन शब्दों का प्रयोग मुहावरा के वास्तविक अर्थ में नहीं हुआ है। आगे चलकर हिन्दी में अरबी के 'मुहाविरा' शब्द का प्रचलन हो गया। हिन्दी को दूसरी भाषा के शब्दों से परहेज नहीं है। उसकी इसी प्रकृति के कारण आज हमें हिन्दी में अरबी, फारसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के साथ भारत की विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के शब्द आसानी से मिल जाते हैं। परिणामतः हिन्दी ने अरबी के शब्द 'मुहाविरा' का हिन्दीकरण करके उसे 'मुहावरा' बना दिया और उसके स्थान पर किसी अन्य शब्द को गढ़ना आवश्यक नहीं समझा। प्रश्न यह उठता है कि संस्कृत के उक्त शब्द मुहावरा के लिए क्यों नहीं रखे गये ? इसके लिए कई कारण समझ पड़ते हैं—एक तो यह कि उक्त शब्द मुहावरे के अर्थ में रूढ़ नहीं हो सके थे। वे शब्द प्रायः सामान्य अर्थ में ही प्रयुक्त होते रहे हैं। दूसरे इनमें 'मुहावरे' की विशिष्टता भी सुरक्षित नहीं है। वस्तुतः मुहावरे सामान्य जीवन में प्रयुक्त होकर ही अपना महत्त्व प्रदर्शित

करते हैं। संस्कृत में जो मुहावरे साहित्यिक धरातल पर प्रचलित थे वे सामान्य जीवन में प्रचलित नहीं हो सके परिणामतः उनका प्रचलित क्षेत्र विशेष तक ही रहा। इसके कारण उनके लिए किसी नये शब्द को गढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब 'मुहावरा' शब्द का इतना प्रचलन हो चुका है कि इसके लिए किसी अन्य शब्द को गढ़ने की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

मुहावरों के लिए कुछ लोगों ने अंग्रेजी 'फ्रेज़' के आधार पर 'वाक् पद्धति' का नाम दिया है। किन्तु यह नाम भाषा के सामान्य प्रयोग से मुहावरों के पृथक प्रयोग को स्पष्ट करने की दृष्टि से किया गया है क्योंकि मुहावरे में शब्द के एक विशिष्ट प्रयोग की 'पद्धति' बन चुकी है।

इसकी परिभाषा करते हुए दुनीचन्द ने लिखा है—किसी भाषा का ऐसा प्रचलित शब्द अथवा वाक्यांश जो विशेष ढंग से प्रयुक्त होकर अपने साधारण अर्थ से विलक्षण अर्थ प्रकट करता हो, मुहावरा (या वाक् पद्धति) कहलाता है।[1] इस प्रकार मुहावरा वह वाक्यांश है जिसका अर्थ लक्षणा व व्यंजना द्वारा स्पष्ट होता है। उसका अभिधेयार्थ लेने पर अर्थ अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक हो जाता है। वस्तुतः मुहावरे के रूप में प्रयुक्त शब्दावली या वाक्यांश विशिष्ट अर्थों में रूढ़ हो जाते हैं यथा—'गाल फुलाना' (नाराज होना) या फूटी आँख से देखना (घृणा करना) का अभिधेयार्थ नहीं लिया जा सकता। यही कारण है कि इसके लिए कुछ लोग रूढ़ोक्ति शब्द का भी प्रयोग करते हैं। किन्तु 'रूढ़ोक्ति' कहने पर एक पूर्ण उक्ति का बोध होने लगता है जब कि मुहावरे प्रायः वाक्यांश होते हैं और वाक्य में प्रयुक्त होकर

---

१. हिन्दी व्याकरण—पृ० २६६, हिन्दी वाक्य विन्यास—सुधाकालरा, पृ० २४८ में उद्धृत।

ही अपना अभीष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं। साथ ही ये वाक्य में कभी कर्ता तो कभी क्रिया या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं; जैसे 'आग बबूला होना' (अत्यन्त क्रुद्ध होना) का प्रयोग—

१. जरा सी बात पर आग बबूला होना अच्छी बात नहीं है।— (कर्ता के रूप में)
२. जरा सी बात पर आग बबूला होने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं समझे जाते—विशेषण।
३. वह मेरी बात पर आग बबूला होकर मुझे मारने दौड़ा—क्रिया विशेषण।
४. मेरी बात सुनते ही वह आग बबूला हो गया—क्रिया।

यहाँ एक ही मुहावरे ने विभिन्न व्याकरणिक रूपों को ग्रहण कर लिया है। इससे स्पष्ट है कि मुहावरों का प्रयोग वाक्य में शब्द के रूप में होता है।

मुहावरों का अनुवाद दूसरी भाषा में शाब्दिक रूप में नहीं किया जा सकता। उसके अर्थ के आधार पर ही दूसरी भाषा के मूहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। ये मुहावरे अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार पर प्रचलित होते हैं। अंग्रेजी में मुहावरा—'टू किल टू वर्डस विद वन स्टोन' के लिए या हिन्दी मुहावरा 'एक पन्थ दो काज करना' प्रचलित है। स्पष्ट है कि वहाँ की हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण 'एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना' जैसा प्रयोग ही ठीक समझा गया पर हमारी अहिंसात्मक प्रवृत्ति ने उसे 'एक पन्थ दो काज' के रूप में स्वीकार किया है।

मुहावरों के सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ की ओर संकेत करते हुए पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने लिखा है—'किसी क्रिया में स्वतः मुहावरा के रूप में गृहीत होने की शक्ति नहीं है। वह जब

किसी विशेष संज्ञा के साथ मिलकर वाक्य में परिणत होती है और अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देती है तभी उसकी 'मुहावरा' संज्ञा होती है, ऐसी अवस्था में वाक्य ही की प्रधानता हुई है।'[1]

मुहावरों का महत्त्व

मुहावरे किसी भाषा की प्राण-शक्ति के प्रतीक हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में न केवल लाक्षणिकता वरन प्रभावोत्पादकता एवं संक्षिप्तता भी आ जाती है। भाषा में मुहावरों की बुलन्दी का इजहार करते हुए मौलाना हाली ने ('मोकद्दमा शेरो शायरी में') लिखा है— 'मुहावरा अगर उम्दा तौर से बाँधा जाये तो बिना शुबहा, पस्त शेर को बलंद और बलंद को बलंदतर कर देता है। चाहे उर्दू के शेर हों चाहे हिन्दी कविता, चाहे भोजपुरी के लोकगीत—मुहावरों की छटा दर्शनीय है। ये अनुभूतियों को तीक्ष्णता प्रदान कर अभिव्यक्ति को सतेज और सप्राण कर देते हैं। डा० ओमप्रकाश गुप्त (मुहावरा मीमांसा पृ० ३) ने लिखा है—'मुहावरों में सचमुच ही एक अनोखी (विद्युत) शक्ति निहित है। वे जहाँ एक तरफ प्रेम से भी कोमल और अमृत से भी मधुर होते हैं वहीं दूसरी ओर विष से भी कटु और परमाणु बम से भी कहीं अधिक भयंकर होते हैं।'

मुहावरों में परिस्थितियों की सूक्ष्म पकड़ है। वे जितनी सुन्दरता के साथ कोमल भावों की अभिव्यक्ति करते हैं उतनी ही तीक्ष्णता से कठोर भावों की उद्‌भावना भी करते है। बहादुर शाह जफर को कैद करने के बाद एक अंग्रेज अधिकारी ने (जो उर्दू भी जानता था) कहा था—

दम दमे में दम नहीं, अब खैर माँगो जान की।
ऐ जफर बस हो चुकी शमशीर हिन्दोस्तान की॥

---

१. बोलचाल—पृ० १२६।

उसका उत्तर देते हुए बूढे जफर ने कड़क कर कहा था—

हिन्दियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की
तख्ते-लंदन पर चलेगी तेग़ हिन्दोस्तान की।

वही 'जफर' अपने आखिरी दिनों में बेसहारा होकर कहता है—

न किसी की आँख का नूर हूँ न किसी के दिल का करार हूँ।
जो किसी के काम न आ सका मैं वो एक मुश्ते-गुबार हूँ।।

रहीम खानखाना को एक बार अकबर के दरबार से कुछ समय के लिए निकाल दिया गया। रहीम किसी भड़भूजे के यहाँ जाकर भाड़झोकने का काम ले लिये। आखिर एक दिन शिकार से लौटते हुए अकबर की दृष्टि पड़ ही गयी। वे बोले—'जाके सिर अस भार, सो झोकत अब भार कस'। इसका उत्तर रहीम ने दिया—'रहिमन उतरे पार, भार झोकि सब भार महँ। इन उदाहरणों में मुहावरों के प्रयोग की सार्थकता को भली प्रकार देखा जा सकता है। इसी प्रकार भोजपुरी में भी मुहावरों के बड़े सटीक एवं सूक्ष्म भावाभिव्यंजक प्रयोग हुए हैं—

पूतन से बुढ़वा कहलैं, रन कइसे चली न रही ऊ जवानी।
पेड़ किनारे क जानऽ हमैं, बस चार दिना की रही जिनगानी
वेद के मंत्र से पिण्ड न लेबै, बोल्य तबौ जयदेश क बानी,
पानी बचाय़के ना रखब तब ना हम लेब सराध क पानी।

(कुंवर सिंह महाकाव्य—चन्द्रशेखर मिश्र)

मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रांजल एवं प्रवाहयुक्त हो जाती है, उसके अर्थ में गंभीरता तथा अभिव्यक्ति में एक सटीकता आ जाती है। यही कारण है कि हिन्दी और उर्दू के कवियों तथा शायरों ने मुहावरों का अपनी रचनाओं में यत्र-तत्र भरपूर प्रयोग किया है कहीं-

कहीं तो पूरे पद ही एक तरह के मुहावरों से रच दिये गये हैं। मुहावरों के सहज प्रयोग को अभिव्यंजित करने की दृष्टि से यहाँ कतिपय उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा। आँख, नाक और मुँह पर आधृत कई मुहावरे चलते हैं उसका उदाहरण देखें—

आँख ने धूल आँख में झोंकी,
कर गयी आँख, आँख साथ ठगी।
क्यों नहीं आँख खुल सकी खोले,
क्यों लगे आँख जब कि आँख लगी।

नाक जब है सिकोड़ने हित सुन, किस तरह नाक को बचावेंगे।
नाक पर बैठने न दें मक्खी, नक कटे नाक ही कटावेंगे।
आँख थी ही बन्द मुँह भी बन्द है, मुँह उठाकर कौन मुँह ताका नहीं।
सिल गया मुँह आज दिन भी है सिला, टूट मुँह का तो सका टाँका नहीं॥

विद्वानों की धारणा है कि—

हिन्दी कवियों की अपेक्षा उर्दू कवियों ने मुहावरों का अधिक प्रयोग किया है। आधुनिक कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि कुछ कवियों को छोड़कर अन्य की रचनाओं में मुहावरों के इने-गिने प्रयोग ही हुए है। इसी को लक्ष्य करके फिराक साहब ने कहा है कि हिन्दी वाले शब्दवादी हैं, वे शब्द रखना जानते हैं—सीधी और साफ सड़क पर एक बड़े और ऊबड़ खाबड़ और पत्थर की तरह—जब कि उर्दू वाले वाक्यवादी हैं और वे वाक्य लिखना जानते है जिनमें दरिया की खानी होती है और शीशे की सफाई। इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक हिन्दी कवि जहाँ शब्दों के लाक्षणिक प्रयोगों तथा प्रतीकों, नवीन उपन्यासों आदि को अपनाकर अपनी रचनाओं को अधिकाधिक प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ मुहावरों के प्रयोग का उनके लिए कम अवसर है

किन्तु हमारे आज के नये कवियों में मुहावरों के प्रयोग के प्रति निश्चय ही आकर्षण बढ़ा है।

लोकोक्तियाँ

'मुहावरे' के साथ लोकोक्ति के रूढ़ अर्थ में 'कहावत' शब्द का प्रयोग होता है। आजकल 'कहावत' के स्थान पर 'लोकोक्ति' शब्द का प्रचलन हो चुका है। फिर भी दोनों शब्दों में पर्याप्त अन्तर भी है। लोकोक्ति का अर्थ है 'लोक' प्रचलित 'उक्ति' किन्तु लोक प्रचलित वही उक्तियाँ लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त होती हैं जो विशेष अर्थों में रूढ़ हो चुकी हैं। वास्तव में 'लोकोक्ति' शब्द एक विस्तृत अर्थ रखता है—इसी के अन्तर्गत 'कहावतें' 'पहेलियाँ' और 'सूक्तियाँ' भी आती हैं। लोकोक्ति शब्द इन तीनों के लिए अवसरानुकूल प्रयुक्त होता है। इस प्रकार 'कहावतें' 'लोकोक्ति' का अंग हैं। वस्तुतः कहावतें सामान्य जीवन में प्रचलित ऐसी उक्तियाँ हैं जिनमें युग-युग की मानव अनुभूतियाँ सूत्रबद्ध हैं। ये उक्तियाँ व्यक्ति विशेष न होकर सम्पूर्ण मानव समाज की निधि हैं।

लोकोक्तियाँ 'गागर में सागर' भर देती हैं। 'घर का भेदिया लंका दाह' एक छोटी सी उक्ति हमारे समक्ष एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखकर नये और पुराने सन्दर्भों को न केवल जोड़ती है वरन् एक पुष्ट प्रमाण के साथ हमें एक नयी दिशा भी देती है। विद्वानों की धारणा है कि ये लोकोक्तियाँ उपनिषद् काल में जन्म ले चुकी थीं उनके मतानुसार 'सूत्रकाल' में इनका विशेष उत्कर्ष हो चुका था। अब तक के युग को पार करते-करते ये कहावतें अपनी संख्या पर्याप्त रूप में बढ़ा चुकी हैं। ये हमारे सुख-दुख, जीवन-मरण, खान-पान, रीति-रिवाज, आहार-विहार, खेती-बारी, शकुन-अपशकुन, पशु-पक्षी आदि सभी से सम्बद्ध हैं। लोक जीवन का कोई अंग इससे अछूता नहीं है।

मुहावरों की विशेषता

मुहावरे में भी अनेक विशेषताएँ होती हैं। डा० मुक्तेश्वर तिवारी 'बेसुध' का कथन है—'मुहावरे हमारी बोलचाल में जीवन और स्फूर्ति की चमकती हुई छोटी-छोटी चिनगारियाँ हैं, वे हमारे भोजन को पौष्टिक और स्वास्थ्यकर बनाने वाले उन तत्वों के समान हैं जिन्हें हम जीवन तत्त्व कहते हैं। मुहावरों से वंचित भाषा शीघ्र ही निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती है।'[1] मुहावरों की अनेक विशेषताएँ होती हैं—

१. मुहावरे कम शब्दों में अधिक भाव अभिव्यक्त कर देते हैं।
२. इनके प्रयोग से भाषा सजीव, सुन्दर एवं प्रभावोत्पादक हो जाती है।
३. इनके माध्यम से देश एवं समाज की रीति-नीति तथा उनकी सांस्कृतिक चेतना का बोध होता है।
४. इनके भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्यों में प्रयुक्त होने पर ही होती है।
५. इनमें परिवर्तनशीलता नहीं होती। 'नौ दो ग्यारह होना' को 'आठ तीन ग्यारह होना' नहीं कह सकते और न तो 'दो नौ ग्यारह होना' ही कह सकते हैं।
६. इनमें लक्ष्यार्थ की प्रधानता होती है। 'जीती मक्खी निगलना' और 'आकाश का तारा ले आना' में 'मक्खी' और 'आकाश के तारे' का वाक्यार्थ नहीं लिया जा सकता।

लोकोक्तियां और मुहावरे

मुहावरे वाक्यांश या पद बंध होते हैं। इनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं हो सकता किन्तु लोकोक्तियों या कहावतों का प्रयोग स्वतन्त्र रूपों में

---

१. भोजपुरी लोकोक्तियाँ और मुहावरे—पृष्ठ १६६।

कथन को पुष्ट एवं प्रमाणित करने के लिए पृथक वाक्य के रूप में होता है। किसी सत्य अथवा विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है जब कि मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर ही अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति कर पाते हैं। सामासिकता एवं संक्षिप्तता का गुण दोनों में होता है। मुहावरों के अन्त में खड़ी बोली में 'ना' प्रत्यय तथा भोजपुरी में 'ल' प्रत्यय या 'भइल' शब्द जुट जाता है; जैसे 'आँख में धूल झोंकना' कान काटना; आँख दिखाना 'आन्हीं के आम भइल', 'आसमान में उड़ना', 'दूध की मक्खी होना' आदि। मुहावरे एक वाक्यांश या वाक्य तक ही सीमित रहते हैं इनमें केवल एक क्रिया होती है जब कि कहावतों में एक से अधिक वाक्य या क्रिया हो सकती हैं। मुहावरे वाक्यांश होने के कारण वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पद्यबद्ध रचनाओं में दोनों का प्रयोग होता है किन्तु मुहावरों की अपेक्षा लोकोक्तियों का बहुत कम प्रयोग होता है।

•

लोकोक्ति एवं मुहावरों का इतिहास

हिन्दी भाषा के विकासात्मक इतिहास के साथ ही मुहावरों के विकास का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। स्वर्गीय डा० पीताम्बर दत्त बडथ्वाल का अनुमान है कि सम्भवतः ईसवी सन् ७७८ से पहले ही हिन्दी बोली जाती रही होगी। जहाँ तक हिन्दी साहित्य के जन्म का प्रश्न है प्रायः सभी प्रमुख विद्वान उसका उद्भव १००० ई० से मानते हैं। इसके पूर्व जैन और बज्रयानी सन्तों की अपभ्रंश की रचनाओं में हिन्दी की बोली झलकने लगी थी सिद्ध सरहपा जो आठवीं नवीं शताब्दी के मध्य के माने जाते हैं उनकी रचनाओं में हिन्दी का दर्शन होता है।[1] जैन पंडित देवसेन सूरि ने भी इसी भाषा का प्रयोग किया है।[2] इस प्रकार सिद्धो नाथों की सन्ध्या भाषा, डिंगल, अवधी, ब्रजभाषा से होती हुई आज की खड़ी बोली हिन्दी ने अपने स्वरूप का गठन किया। हिन्दी के विकास की परम्परा को और पूर्व से ग्रहण करें तो क्रमशः संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश से हिन्दी का विकास परिलक्षित होता है।

संस्कृत साहित्य में यद्यपि 'मुहावरा' का समानार्थी शब्द नहीं मिलता है फिर भी मुहावरों का प्रयोग यत्र-तत्र मिलता है। लोकोक्तियाँ भी प्रायः मिलती हैं। मुहावरों का प्रयोग संस्कृत साहित्य में

---

१. जहँ मन पवन न संचरई, रवि ससि नाह प्रवेश।
तहिं वह चित बिस्राम करु, सरहे अहिअ उवेस ॥ सरहपा ॥

२. जो जिण सासण भासियउ, सो महि कहियउ सारु।
जा पाले सइ भाव करि, तो तरि पावउ पारु ॥ देवसेन सूरि।

अपेक्षाकृत कम अवश्य हुआ है। लगता है कि व्याकरण सम्मत संस्कृत भाषा में प्रायोगिक विकार का तात्पर्य मुहावरों के अर्थ भेद से है क्योंकि मुहावरों का अर्थ सीधा न होकर लाक्षणिक होता है, कभी तो उसका अर्थ बिलकुल उलटा-अटपटा होता है। उसके अर्थ का वह अटपटापन ही वस्तुतः उसकी वास्तविक प्राणशक्ति है इसी से उसके अर्थ में सीधे शब्दों की अपेक्षा अधिक बाँकपन होता है। इसी के कारण वह अधिक सटीक और प्रभावपूर्ण भी होता है। दूसरे मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग जनभाषा में अपेक्षाकृत अधिक होता है। संस्कृत जनसाधारण की भाषा तो थी नहीं अतः जनसाधारण में प्रचलित प्रयोगों को उसमें स्थान न दिया जाना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है। लगता है कुछ ऐसे ही कारणों से संस्कृत में मुहावरे और लोकोक्तियों का सीमित प्रयोग हुआ है। 'निरस्ते पादपे देशे, एरण्योपि द्रुमायते' का रूप हमें गाँवों में भी 'जहाँ एको न रूख उहाँ रेड़ महापुरुख' मिलता है। डा० प्रतिभा अग्रवाल का कथन है कि "साहित्य जब-जब जनता के निकट आता है, भाषा मुहावरेपन की ओर झुकती है हिन्दी का साहित्य इसका प्रमाण है। वे लेखक या कवि जो जनजीवन के चित्रण में संलग्न थे उनकी रचनाओं में मुहावरों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। जबकि दर्शन वेदान्त के प्रसंगों को लेकर लिखी गयी रचनाओं में कम या नहीं सा। हिन्दी भाषा के इस सुदीर्घ इतिहास के दौरान हर युग में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है उनकी खोज तथा अध्ययन पर्याप्त महत्त्वपूर्ण एवं रुचिकर विषय है।"[1]

प्रस्तुत अध्ययन में भी स्पष्टतः देखने को मिलता है कि प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचन्द, आचार्य शुक्ल, गुलाबराय एम० ए०

---

१. हिन्दी मुहावरे—२३३/५ आचार्य जगदीश, बोस रोड, कलकत्ता २०।

द्वारा लिखित निबन्धों में मुहावरों का यथेष्ट प्रयोग हुआ है। किन्तु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद आदि के निबन्धों में मुहावरे मात्र दो-चार की संख्या में ही आये हैं।

कुछ भी हो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हिन्दी साहित्य के सभी युगों में हुआ है और इनके प्रयोग में उत्तरोत्तर उन्नति ही हुई है। आरम्भ से अब प्रयोग के धरातल पर इनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। इनका प्रसार हिन्दी की सभी बोलियों में हुआ है। लोक साहित्य में अपेक्षाकृत इनकी अधिकता ही मिलेगी।

लोकोक्तियों का उद्‌भव और विकास

लोकोक्तियाँ विशेष घटना या जीवन की अनुभूतियों पर आधारित होती हैं ये स्वतः प्रयुक्त वक्तव्य होती हैं। आरम्भ में इनका प्रस्फुटन वैयक्तिक व्यक्ति के रूप में ही होता है किन्तु काव्यन्तर में प्रयोग परम्परा के अन्तर्गत अपनी सर्वजनीनता के कारण लोक सामान्य में प्रचलित हो जाती हैं और लोकोक्ति का नाम ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकोक्तियों के उद्‌भव का कारण अनिश्चित एक विवादास्पद है।

उद्‌भव भी प्रक्रिया का यदि अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि सभी लोकोक्तियाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी अनुभव पर आधारित होती हैं। डा० कन्हैयालाल सहगल ने लिखा है—

'कोई कहावत किस प्रकार जन्म लेती होगी, इसके सम्बन्ध में हम कुछ कल्पना कर सकते हैं।'[1] किन्तु सभी लोकोक्तियों के पीछे किसी न किसी घटना या व्यापार का होना आवश्यक नहीं है। साथ ही कुछ लोकोक्तियों के पीछे कोई घटना होगी भी तो उसकी 'कल्पना' ही को सकती है उसे निश्चित नहीं किया जा सकता।

---

१. राजस्थानी कहावतें, एक अध्ययन पृ० ३८।

दैनन्दिन जीवन व्यापारों से उपमान या उदाहरण चुनकर किसी वस्तु के साथ संयुक्त कर उसका प्रयोग प्रचलित कर दिया जाता है। यथा 'घी का लड्डू टेढ़ा भी भला' इस लोकोक्ति में घी के महत्त्व को उद्घाटित किया गया है।

उद्भव के स्रोत

जेम्स ए० केलसों ने लोकोक्तियों के उद्भव के तीन स्रोतों का उल्लेख किया है—

(क) घटना (ख) पहेली (ग) लोक कथा।

किन्तु इनके अतिरिक्त लोकप्रिय साहित्यकारों एवं चिन्तकों की सूक्तियाँ भी लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त होने लगती हैं।

(क) घटना—जीवन की अनेक घटनाएँ हैं जो मनुष्य के चिन्तन को प्रभावित कर जाती है। लोकोक्तियों में सन्निविष्ट घटनाएँ साधारण होते हुए भी अपना विशेष महत्व रखती हैं। इन घटनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(१) सामान्य (२) ऐतिहासिक। सामान्य घटनाओं में लोक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक धार्मिकनैतिक, तथा प्राकृतिक जगत के कार्य-व्यापार आदि आते हैं। यथा—जैसा देश वैसा वेश। सास न नन्द घर में आनन्द (सामाजिक जीवन), जेठ की दुपहरिया भादों की अह्लरिया (आर्थिक जीवन कृषि, श्रम आदि) जैसी करनी वैसी भरनी, (धार्मिक विश्वास), आधा तजे से पंडित, सरवस तजे गँवार नेकी के नेक राह बदी के बद राह (नैतिक जीवन) साठी पाके साठ दिना, जब बरसा होवे रात दिना, हरहा, हाथी हाकिम चोर, बिगड़े पर ना लागे जोर (प्राकृतिक जगत) घर का भेदिया लंका दाह (पौराणिक)।

इस प्रकार लोकोक्तियाँ जीवन के विविध स्रोतों से फूटकर हमारी अभिव्यक्ति को चमत्कृत एवं प्रभावपूर्ण बना देती हैं। वस्तुतः

लोकोक्तियाँ हमारे जीवन के सिद्धान्तों की कसौटी पर कसी हुई उक्तियाँ हैं। उनके अनुभूत सत्य सार्वकालिक एवं सार्वजनीन होते हैं।

मुहावरों एवं लोकोक्तियों का क्षेत्र एवं आकार

स्पष्ट किया जा चुका है कि मुहावरा एक विशिष्ट पद-रचना है जिसमें अभिधार्थ से भिन्न लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। अभिधार्थ से भिन्न कहने से इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो जाता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अपना सीधा अर्थ त्याग चुके हैं और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं क्या सबको मुहावरा मान लिया जाय ? वस्तुतः किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाने पर ये शब्द अपना मुहावरापन छोड़ देते हैं। उठना, चलना, पड़ना, डालना, देना, मारना, बैठना आदि क्रियाएँ स्वतन्त्र रूप से भी प्रयुक्त होती हैं और सहायक क्रिया के रूप में थी जैसे बोल उठे, तुम चले चलो, पुस्तक पढ़ डाली, उसे काम करने दो, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, वह मेरे रुपये मार बैठा, उसने कई पन्ना लिख मारा। यहाँ क्रियाएँ अपना मूल अर्थ छोड़कर सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई हैं। इनमें भी मुहावरापन है पर इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसी प्रकार 'आ जाओ' के स्थान पर जब हम कहते हैं 'आ जमें' या 'आ धमके' तो हम उसे नहीं भूल पाते। वस्तुतः मुहावरा के लिए किसी पद रचना का अभिधार्थ से भिन्न होना ही आवश्यक नहीं बल्कि आवश्यक है कि मुहावरे के रूप में उसका लोक-प्रचलन भी हो और लोग उसे मुहावरा मानते भी हों। इसी प्रकार लोकोक्तियों के लिए किसी उक्ति का लोक प्रचलित होना ही आवश्यक नहीं बल्कि लोकोक्ति के रूप में उसे मान्यता भी प्राप्त हो। सत्य तो यह है कि मुहावरापन उस भाषा को बोलने वालों समझने वालों द्वारा आरोपित विशेषता है जो उनकी अपनी चीज है।

कुछ मुहावरे ध्वनि साम्य पर, कुछ निरर्थक शब्दों पर तो कुछ किसी दूसरे अर्थ के साम्य पर आधारित होते हैं। इसी आधार पर काँव-काँव करना, टाँय-टाँय करना, टाँय-टाँय फिस होना, तत्तो थंमो करना, नकनकी बजवा देना, ब्रूम मारना, रेड़ मारना, लवड़ धों-धों करना, लल्लो-चप्पो करना, सीसी चटकना, हट्टा-कट्टा होना, हरा होना आदि मुहावरे बने हैं।

लोकोक्तियाँ अपना सीधा अर्थ रखते हुए भी कुछ विशेष अर्थों में लोक प्रचलित हो जाती हैं। यद्यपि वे किसी अवसर विशेष या बल्कि विशेष से सम्बन्ध रखने वाली होती है पर आम प्रचलन उसी प्रकार की कहीं स्थितियों में प्रयुक्तत होकर अपना सामान्य अर्थ देते हुए एक सिद्धान्त के रूप में प्रयुक्त होने लगती हैं। जैसे 'अधजल गगरी छलकत जाय' अनाड़ी का सौदा बारा बाट' 'अपना-अपना ही है पराया-पराया'।

मुहावरों की अर्थ व्यंजना

थोड़े में बहुत कुछ कह देना मुहावरों और लोकोक्तियों की अपनी विशेषता है। ये आम प्रचलन पर आधारित होते हैं तथा किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं; अतः इनके शब्दों में हेर-फेर नहीं किया जा सकता। एक शब्द का इधर-उधर करना या घटना बढ़ाना उसके मुहावरेपन के लिए खतरनाक सिद्ध हो जाता है। 'लाल होना' प्रसन्नता का द्योतक है पर 'लाल पीला होना' क्रोधित होने का भाव व्यंजित करता है जब कि 'पीला होना' उन दोनों से अलग भयभीत होने का भाव व्यक्त करता है। 'ऊँची बात' अच्छी बात का बोध कराती है किन्तु उसी के साथ 'नीची' शब्द जोड़ देने पर—'ऊँची-नीची बात' में ऊँची का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार कुछ मुहावरे सूक्ष्म व्यंजना पर आधारित होते हैं। डोंगा डुबाना,

डूबती किश्ती पार लगाना, दाना-पानी उठ जाना, मिजाज गरम होना, रूई में लपेटी आग आदि ऐसी ही सूक्ष्म व्यंजना करते हैं। विभिन्न रंग विभिन्न भावों के प्रतीक होते हैं; लाल अनुराग का हरा प्रसन्नता का, काला दुख या पाप का, नीला शृंगार का, श्वेत पवित्रता का प्रतीक है। मुहावरों में इन अर्थों का उपयोग होता है।

मुहावरों में अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच भी प्रक्रिया भी चलती है। आँख खुलना या खोलना एक सामान्य एक सीमित अर्थ रखता है पर मुहावरे के रूप में इसका प्रयोग होने पर इसके अर्थ में विस्तार हो जाता है और वही 'जीवन-जगत को समझने के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है इसी प्रकार चूल्हा फूँकना, नोन तेल लकड़ी जुटाना, धूप में बाल सफेद करना (अनुभव एवं ज्ञान द्वारा परिपक्व होना), हवा भरना (उत्साहित करना) आदि में अर्थ विस्तार हो जाता है। इसके विपरीत कभी-कभी अर्थ संकोच भी होता है; जैसे 'आकश से ऊँचा होना (बहुत ऊँचा होना) किताब का कीड़ा होना (बहुत पढ़ने वाला) भीमकाय होना (बहुत लम्बा चौड़ा होना)।

●

मुहावरों का चयन

यहाँ हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट हिन्दी गद्य की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त मुहावरों एवं लोकोक्तियों का चयन पुस्तक के पाठों के क्रम में किया जा रहा है।

गद्य संकलन

(हाईस्कूल की गद्य की पाठ्य-पुस्तक)

प्रयुक्त मुहावरे **लोकोक्ति**

बात—प्रताप नारायण मिश्र

१. शिरोमणि कहलाना।
२. कटिबद्ध रहना।
३. मुह विचकाना।
४. बातों में उड़ाना।

१. गात माहिं बात करामात है।

५. बात बनाना।
६. बड़ी बात होना।
७. छोटी बात होना।
८. सीधी बात होना।
९. टेढ़ी बात होना।
१०. खोटी बात होना।
११. मीठी बात होना।
१२. कड़वी बात होना।
१३. सुहानी बात होना।
१४. बात बिगड़ना।

१५. बात लगना ।

१६. बात आ पड़ना ।

१७. बात जमना ।

१८. बात उखड़ना ।

२. बातै हाथी पाइए बातै हाथी पाँव ।

१९. अपनो का पराया होना ।

२०. मक्खी चूस होना ।

२१. बात गढ़ना ।

२२. आधिपत्य जमाना ।

२३. जी को और का और कर देना ।

४. मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है ।

२४. कलंक लगाना ।

२५. उँगलियों पर ही गिनने भर का होना ।

५. क्या बने बात जहाँ बात बनाये न बने ।

२६. बात का बतंगड़ करना ।

२७. हाथ समेटना ।

कर्तव्य और सत्यता बाबू श्यामसुन्दर दास

१. दृष्टि से गिर जाना ।

२. खोटा काम करना ।

३. कष्ट उठना ।

४. झूठी चाटुकारी करना ।

५. प्राण बचाना ।

६. सबसे ऊँचा स्थान देना ।

७. धोखा देना ।

८. हाँ में हाँ मिलाना ।

९. मुँह देखी बाते बनाना ।

१०. मूर्ख बनाकर अपना कार्य कराना ।

११. पोल खुलना ।

१२. भेद खुल जाना ।

१३. आँखों में नीच गिना जाना ।

१४. आडम्बर से दूर भागना ।

मित्रता—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

१. स्थिति जमाना ।

२. बात को ऊपर रखना । (ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं)

३. अपना बना लेना ।

४. खजाना मिलना ।

५. धुन सवार रहना ।

६. जीवन संग्राम में साथ देना ।

७. मुँह ताकना ।

८. मन बढ़ाना ।

९. पल्ला पकड़ना ।

१०. बड़ी बात होना ।

११. कोसों दूर भागना । (वे अच्छी बातों के सच्चे आनन्द से कोसों दूर हैं ।)

१२. दिन काटना ।

१३. अवनति के गड्ढे में गिरना ।

१४. भाग्य को सराहना ।

१५. पैर कीचड़ में डालना ।

१६. भले बुरे की पहचान न रह जाना ।

१७. विवेक कुंठित हो जाना ।

मंत्र—मुंशी प्रेमचन्द

१. संसार से सिधारना ।

२. किस्मत ठोंकना ।

३. जौ भर भी न टलना । ('इस नियम से वे जौ भर भी न टलते थे')

४. दम मारने का भी अवकाश न मिलना ।

५. तिल रखने की भी जगह न होना ।

६. टाल मटोल करना ।

७. रद्दा चढ़ाना ।

८. मिजाज करना । ('मिस गोविन्द इतनी सीधी व भोली हैं तभी आप इतना मिजाज करते हैं')

९. जान हाजिर करना ।

१०. रंग पर चढ़ाना ।

११. किसी की वकालत करना ।

१२. आनन फानन में मर जाना ।

१३. भूत सवार होना ।

१४. क्रोध में पागल होना ।

१५. रफू हो जाना ।

१६. आँखे पथरा जाना ।

१७. हाँथ-पाँव ठंढा होना ।

१८. कुहराम मचना ।

१९. अक्ल पर पत्थर पड़ना ।

२०. बातों में आना ।

२१. लंगोटी बाँधकर निकल जाना ।

२२. आदमी बन जाना ।

२३. कलेजा ठंडा होना ।

२४. आँखें ठंडी होना।

२५. राज सूना हो जाना—(प्रयोग—'जहाँ छः छः बच्चे गये वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जायगा।')

२६. जीवन दान दे देना।

२७. काँटे बोने वाले को फूल बोना।—(प्रयोग—'नहीं री ! ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे काँटे बोये, उसके लिए फूल बोता फिरूँ।')

२८. देवता होना।

२९. घर उजड़ना।

३०. रवादार न होना।—(प्रयोग—डाक्टर ने कहा बुड्ढा न जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तमाखू का भी रवादार न हुआ।)

३१. यश की वर्षा करना।

विश्व मंदिर—श्री वियोगी हरि

१. दिल भर देखना।

२. तबीयत हरी हो जाना।

३. आँखो में बसना।

४. अंकित होना।

५. आनन्द के आकाश में उड़ना।

६. दिल में बात उतरना।

आचार्य द्विवेदी जी—श्री हरिभाऊ उपाध्याय

१. हृदय में स्थान देना।

२. पाँव के नीचे से जमीन खिसकना।

३. पहली कक्षा में ही फेल होना।

४. पाँव फैलाने भर की जगह मिल जाना ।

५. अपना घर होना ।

६. पांव पसारने भर की जगह होना ।

८. नाक-भौं सिकोड़ना ।

९. टाल-मटोल करना ।

१०. हृदय पर छाप पड़ना ।

११. हृदय पर धाक जमाना ।

ममता—श्री जयशंकर 'प्रसाद'

१. पैर सीधे न पड़ना ।

२. आँखों को अंधा बनाना ।

क्या लिखूँ—पदुम लाल पुन्ना लाल बखशी

६. लोको०—दूर के ढोल सुहावने होते हैं ।

१. खरा सिद्ध होना ।

७. एक ढेले से दो चिड़िया मारना ।

नर से नारायण—श्री गुलाब राय एम० ए०

८. का वर्षा जब कृषि सुखाने

१. दृष्टिपात करना ।

२. घर फूँक तमाशा देखना ।

३. दिल बैठना ।

९. दायाँ हाथ बाये हाथ की बात नहीं जान सकता ।

४. भगीरथ प्रयत्न करना ।

भारतीय संस्कृति—डा० राजेन्द्र प्रसाद

१०. कोस-कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी ।

१. थपेड़ो को बरदाश्त करना ।

२. अस्तित्व कायम रखना ।

३. नामो निशाँ बाकी रहना ।

४. हस्ती मिटना।

५. नये प्राण फूँकना।

६. मुरझाये हुए दिलों को खिलाना।

७. ओत-प्रोत होना।

८. हड्डियों में नयी मज्जा डालना।

९. हृदय को जीतना।

१०. मुसीबतों का पहाड़ ढाना।

११. सिक्का मानना।

चिरतारुण्य की साधना—श्री विनोबा भावे

१. जंग खाना।

२. काम आना।

गुरु नानक देव—डा०हजारी प्रसाद द्विवेदी

१. व्यंग्य बाण छोड़ना।

२. फीका पड़ना।

३. नीचे गिरना।

४. ऊपर उठाना।

गिल्लू—श्रीमती महादेवी वर्मा

१. चौंका देना।

२. मुक्ति की साँस लेना।

३. जीवन यात्रा का अन्त आना।

नींव की ईंट—रामवृक्ष बेनीपुरी

१. मुख मोड़ना।

२. जमीन पर आ पड़ना।

३. कंगूरे का गीत गाना।

४. नींव का गीत गाना।

५. शहादत का सेहरा पहनना।

६. वन-वन की खाक छानना ।

७. भूख-प्यास का शिकार होना ।

८. दधीचि होना ।

६. काम में खपाना ।

स्मृति—श्री राम शर्मा

१. जान निकल जाना ।

२. ढाढ़ें मारकर रोना ।

३. दुधारी तलवार कलेजे पर फिरना ।

४. मौत का मार्ग स्वीकार करना ।

५. पासा फेंकना ।

६. मौत का आलिंगन होना ।

७. दूसरा जन्म होना ।

८. बायें हाथ का खेल समझना ।

६. अक्ल चकराना ।

१०. पीठ दिखाना ।

११. आँखें चार होना ।

१२. मोहनी डालना ।

१३. मोरचा पड़ना—(दोनों ओर मोरचे पड़े हुए थे ।)

१४. कोई चारा न होना ।

१५. कायल होना ।

१६. धरना देकर बैठना ।

निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा—काका कालेलकर

१. जिद्द टूटना ।

२. ताक पर रख देना ।

३. मौत का सामना करना ।

४. हार खाकर निर्णय देना ।

५. चंगा होना ।

६. हाथ फैलाना ।

७. उपसंहार करना ।

८. कसौटी आ पड़ना ।

दक्षिण भारत की एक झलक— विनय मोहन शर्मा

११. लोको०—सावन के अंधे को हरा ही हरा दीखना ।

१. समाधि बन जाना ।

२. मौत बनकर नाचना ।

३. आँख गड़ाये रहना ।

४. जमीन आसमान का अन्तर दिखायी पड़ना ।

ईर्ष्या तू न गयी मेरे मन से—श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'

१. घर बनाना ।

२. आँखों से गिर जाना ।

३. दूसरों को गिराना ।

४. दिल का गुबार निकालना ।

अजन्ता—

१. रौनक बरसाना ।

२. प्राण फूँकना ।

३. जीवन यात्रा समाप्त करना ।

साहित्य—लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय

× × ×

ठेले पर हिमालय—धर्मवीर भारती

१. बैठे बिठाये मिल जाना ।

(२) गद्य गरिमा

(इन्टर मीडिएट की गद्य पाठ्य पुस्तक)

भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है ? भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

१. गप से छुट्टी न होना।
२. पाला छू लेना।
३. खड़े-खड़े टाप मिट्टी खोदना।
४. काँटों को साफ करना।
५. जी तोड़ना।

महाकवि माघ का प्रभात वर्णन—महावीर प्रसाद द्विवेदी

× × ×

भारतीय साहित्य की विशेषताएँ—डा० श्यामसुन्दर दास

× × ×

आचरण की सभ्यता

१. प्रभुत्व जमाना।
२. राम रोला होना।
३. नेत्र खोलना।
४. महाभारत का कुरुक्षेत्र बनाना।
५. अपनी नैया आप बनाना।
६. अपनी नैया आप चलाना।
७. आँख खोले रहना।
८. मुख मोड़ देना।
९. छाती पर मूँग दलना।
१०. कमर बाधे हुए सिपाही बने रहना।

११. खाक छानना ।
१२. बैठे-बिठाये मिलना ।
१३. रंग चढ़ाना ।

करुणा—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

× × ×

अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा—राहुल सांकृत्यायन

१. धता बताना ।
२. तेली के कोल्हू का बैल ।
३. व्रत लेना ।
४. खून की नदी बहाना ।
५. पथ प्रशस्त करना ।
६. अपनी झंडी गाड़ना ।
७. धक्के खाना ।
८. जौहर दिखाना ।

लो०—'करतल भिक्षा तरुतल वास' ।

९. यमराज को निमंत्रण देना ।
१०. फूँक-फूँक कर चलना ।
११. पैर तोड़ कर बैठ जाना ।
१२. चिन्दी चिन्दी करके उड़ा देना ।

लो०—इस हाथ से ले उस हाथ से दे ।

१३. आँख में धूल झोंकना ।

गेहूँ बनाम गुलाब—रामवृक्ष बेनीपुरी

१. सिर धुनना ।
२. अपने भाग्य पर रोना ।
३. सिर खपाना ।

४. आकाश-पाताल एक करना।

राष्ट्र का स्वरूप—वासुदेव शरण अग्रवाल

१. नया ठाट खड़ा करना।

२. कमर कसना।

भाग्य और पुरुषार्थ—जैनेन्द्र कुमार

१. मुँह मोड़ना।

२. मँडराना।

३. छुट्टी मिलना।

४. हाथ पैर पटकना।

५. जोड़ तोड़ में लगे रहना।

६. मुँह फेरना।

७. राह देखना।

८. थका मारना।

९. हाथ आना।

१०. सिर आँखो लेना।

कुटज—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी

१. मनोरथानामगतिर्न विद्यते—सूक्ति।

२. नसीब की बात होना।

३. मोल घटना।

४. चपत लगाना।

५. गलत बयानी का शिकार होना।

६. जम के बैठना।

७. धक्का मार ढंग से कहना।

८. किसी के द्वार पर भीख माँगना।

९. जूता चाटते फिरना।

१०. दाँत निपोरना ।

११. बगले झाँकना ।

१२. शान से जीना ।

अवशेष—रघुवीर सिंह

१. लोप होना ।

२. बल खाना ।

३. चौंक उठना ।

४. स्वप्न भंग होना ।

५. हृदय पिघलना ।

६. नामलेवा न होना ।

७. हृदय हिलाना ।

८. लातलगाकर हटाना ।

९. दिल छिन्न-भिन्न करना ।

१०. दिल टूटना ।

सन्नाटा—श्री अज्ञेय

१. आँखो के सामने अँधेरा छाना ।

२. खुराफात सूझना ।

३. कन्नी काटना ।

४. फिस फिसाकर रह जाना ।

आलोचक की आस्था—डा० नगेन्द्र

१. हाजिर में हुज्जत न होना ।

भाषा और आधुनिकता—प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी

× × ×

निन्दा रस—हरिशंकर पारसाई

१. गले लगाना ।

२. कलेजे से चिपकाये रहना ।

३. चाँद को देखकर कुत्ते का भोंकना ।

४. निठल्ला होना ।

आखिरी चट्टान—मोहन राकेश

× × ×

हिमालय—डा० विद्या निवास मिश्र

× × ×

●

प्रयुक्त लोकोक्तियों का विश्लेषण

अर्थ की दृष्टि से लोकोक्तियों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है—

(१) कथा या ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर।

(२) अभिधार्थक प्रयोग के आधार पर।

(३) रूपक के आधार पर।

(४) रूपकात्मक अभिधार्थ के आधार पर।[1]

कथा या ऐतिहासिक तथ्यों से सम्बद्ध कहावतों का अर्थ उन तथ्यों की जानकारी से ही स्पष्ट होता है यथा घर का भेदी लंका ढाये। विभीषण ने रावण का भेद बताकर लंका का सर्वनाश कराया था। संकलन में 'बातैं हाथी पाइए बातैं हाथी पाव'—इसी प्रकार की लोकोक्ति है। मध्यकाल में लोग दरबारों में अपनी अच्छी बातों से राजा-महाराजाओं को प्रसन्न करके पुरस्कार में 'हाथी' प्राप्त कर लेते थे या तो अपनी अशिष्ट बात के कारण उनके कोप भाजन बनकर हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा दिये जाते थे। सामान्य अर्थ निकला कि बात का बहुत बड़ा महत्व है। अभिधार्थ प्रयोग वाली लोकोक्तियाँ अपना सीधा ही अर्थ देती हैं वे अपने अभिधार्थ में ही प्रयुक्त होती हैं जैसे 'जब तक सांस तब तक आस' या आप बुरा जग बुरा। संकलन में 'गात माहिं बात करामात है' इसी प्रकार की लोकोक्ति है। रूपक के आधार पर चलने वाली लोकोक्तियाँ व्यंजनात्मक अर्थ देती हैं जैसे 'दीवार के भी कान होते हैं' या 'कोमल होय न अजली नौ मन साबुन लाय'। संकलन में दायां हाथ बाये हाथ की बात नहीं जान सकता।

---

१. हिन्दी वाक्य विन्यास—सुधा कालरा—पृ० २५५-५६।

इसी प्रकार भी लोकोक्ति है। रूपकात्मक अभिधार्थ वाली लोकोक्तियों में दोनों प्रकार के अर्थ रहते हैं। अभिधार्थक भी और रूपकात्मक अर्थ भी। पहले उसके सीधे अर्थ का बोध होता है उसके बाद रूपकात्मक अर्थ का। अपने रूपकात्मक अर्थ के कारण ही इनका महत्त्व होता है यथा तैराक ही डूबते हैं। तैराक लोग प्रायः अधिक वि:वास के कारण गहरे पानी तक चले जाते हैं और लहरों के थपेड़े में डूब जाते हैं। जो तैराक नहीं है वे बहुत सँभलकर जल में प्रवेश करते हैं। व्यंजनार्थ हुआ कि चालाक लोग ही धोखा खाते हैं। संकलन में 'दूर के ढोल सुहावने होते हैं' या 'का वर्षा जब कृषि सुखाने' इसी प्रकार की लोकोक्तियाँ हैं।

इसी प्रकार संरचना की दृष्टि से वाक्य स्तर पर भी लोकोक्तियां का भेद किया जाता है।[1] ये भेद भी चार प्रकार के हैं–(१) वाक्यांश मूलक (तुरत दान + महा कल्यान) संकलन में इस प्रकार की लोकोच्ति नहीं है। (२) वाक्य मूलक (अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता) इसमें साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य जैसे प्रयोग होते हैं। प्रस्तुत संग्रह में साधारण वाक्यगत प्रयोग होता है जैसे 'दूर के ढोल सुहावने होते हैं–सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है', दायां हाथ बाये हाथ की बात नहीं जान सकता। (३) वाक्यांश वाक्य मूलक–(हाथ पैर की काहिली मुँह में मूछे जाय) इस प्रकार की लोकोक्ति इस संग्रह में नहीं है। (४) वाक्य + वाक्यांश मूलक (हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और) संग्रह में कोस-कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी–इसी प्रकार की लोकोक्ति है।

---

१. वही –पृ० २५८-५९।

प्रयुक्त मुहावरों का विश्लेषण

हाईस्कूल की पाठ्य पुस्तक में कुल १७८ तथा इंटरमीडिएट की गद्य पाठ्य पुस्तकों में ५८, कुल मिलाकर २२६ मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। लोकोक्तियों की संख्या केवल ११ है। नीचे मुहावरों का विश्लेषण किया जा रहा है।

मुहावरों का विश्लेषण कई प्रकार से किया गया है यहाँ गद्य पाठ्य पुस्तकों के संकलित मुहावरों का विश्लेषण व्याकरणिक आधार पर किया जा रहा है।

(क) संज्ञा एवं क्रिया पद युक्त मुहावरे

अधिकांश मुहावरे संज्ञा एवं क्रियापदों को जोड़कर बने हैं। ऐसे मुहावरों की संख्या अधिक है। यथा—नाक-भौं सिकोड़ना (आचार्य द्विवेदी) आँखों में बसना (विश्व मंदिर) दाँत निपोरना, जूता चाटते फिरना (कुटज) आदि।

(ख) संज्ञा युक्त मुहावरे

ऐसे मुहावरे दो संज्ञाओं के संयुक्त होने से बने हैं। यथा—अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन, आँख का पानी आदि। पाठ्य पुस्तकों में ऐसे मुहावरे बहुत कम संख्या में प्रयुक्त हुए हैं।

(ग) विशेषण एवं क्रिया युक्त मुहावरे

यथा—अंधा करना, अंधा बनाना, ऊँचा करना, ऊँचा सुनना, खरा सिद्ध होना, निठल्ला होना, पीला पड़ना आदि।

(घ) क्रिया युक्त मुहावरे

यथा—अकड़ना, आ जमना, आ बचना।

(ङ) अव्यय युक्त मुहावरे

कन्नी काटना, अपनी सी, अपने से बरस पड़ना, आगे आना, इधर-उधर झाँकना।

(च) समस्त पद युक्त मुहावरे

यथा—आकाश-पाताल एक करना, कूप-मंडूक, आकाश-भेदी, कुल-टीका।

हिन्दी पाठ्य पुस्तकों में अरबी-फारसी शब्दावली की भाँति अरबी के मुहावरे भी प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे मुहावरों में खुराफात सूझना शान से जीना, हाजिर में हुज्जत न होना, कलेजे से चिपकाये रखना, बगलें झांकना, नसीब की बात होना आदि।

निष्कर्ष

माध्यमिक स्तर की गद्य पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के क्रम में जिन मुहावरों तथा कहावतों का चयन किया गया है उनका विश्लेषण दे दिया गया है किन्तु मुहावरों के अध्ययन से कतिपय अन्य निष्कर्ष भी सामने आये हैं इनका विवेचन नीचे किया जा रहा है ।

(क) लोकोक्तियों की अपेक्षा मुहावरों का अधिक प्रयोग

लोकोक्तियां वाक्य रूप में प्रयुक्त होकर कभी दृष्टान्त तो कभी पूरी घटना का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती हैं। दृष्टान्त एवं जीवन सिद्धान्त रूप में प्रयुक्त होने के कारण इनका प्रयोग प्रायः कम किया जाता है । किन्तु मुहावरे तो बात-बात में निकलते रहते हैं अतः उनका प्रयोग अधिक होना स्वाभाविक ही है । हाईस्कूल की पाठ्य पुस्तकों में १७८ मुहावरे तथा १० लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है ।

(ख) माध्यमिक स्तर पर लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं के बराबर है

माध्यमिक स्तर की पुस्तकों में लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं के बराबर मिलता है । इसका कारण यह है कि इस स्तर पर प्रायः साहित्यिक स्तर को देखते हुए पाठ्य पुस्तकों का चयन किया जाता है उनके स्तर के अनुसार निबन्धों में इनका प्रयोग स्वतः ही कम हुआ है । जो लोकोक्तियां प्रयुक्त हुई भी हैं वे प्रायः संस्कृत सूक्तियों पर अवलम्बित हैं ।

(ग) मुहावरा युक्त भाषा का प्रयोग लेखक की अपनी वैयक्तिक विशेषता है —

प्रायः देखा गया है कि कतिपय लेखकों के निबन्धों में अधिकाधिक

मुहावरों का प्रयोग हुआ है किन्तु कतिपय अन्य लेखकों ने या तो नाम-मात्र के लिए कहीं दो एक मुहावरों का प्रयोग कर दिया है या फिर पूरे निबन्ध में एक भी मुहावरे को आने नहीं दिया है।

मुहावरों का आवश्यक एवं अनिवार्य रूप से प्रयोग करने वाले लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचन्द, गुलाब राय एम० ए० आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री राम शर्मा आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने २७, मुंशी प्रेमचन्द ने २१, श्री राम शर्मा ने १६ तथा आचार्य शुक्ल ने १७ मुहावरों का प्रयोग अपने पाठों में किया है। कतिपय लेखकों ने निबन्ध की विषय वस्तु के अनुसार मुहावरों का प्रयोग किया है। सामान्य स्तर के निबन्धों में मुहावरों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है किन्तु गंभीर एवं चिन्तन प्रधान लेखों में या ललित निबन्धों में मुहावरों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ है। यथा--रामचन्द्र शुक्ल ने 'मित्रता' शीर्षक निबन्ध में यथेष्ट मुहावरों का प्रयोग किया है, किन्तु उन्हीं आचार्य शुक्ल ने 'करुणा' शीर्षक निबन्ध में एक भी मुहावरे का प्रयोग नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि सिद्ध लेखकों की लेखनी से विषय के अनुकूल मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग स्वतः एवं सहज ही हो जाता है। किन्तु जयशंकर 'प्रसाद' जी भाषा की तत्समता के बीच मुहावरों से बचकर चलते हैं।

(घ) मुहावरे लोक जीवन के सम्पर्क के परिचायक हैं।

मुहावरों के प्रयोग से यह भी स्पष्ट होता है कि किस लेखक का ग्रामीण जीवन एवं लोक सामान्य से अधिक निकट का सम्पर्क था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब 'कुटज' में धक्का मार ढंग से कहना, किसी के द्वार पर भीख मांगने न जाना, जूता चाटते फिरना' दाँत निपोरना आदि का प्रयोग करते हैं तो निश्चय ही ग्रामीण शब्दा-

वली से उनके सम्पर्क का बोध होता है। इसी प्रकार राहुल सांकृत्यायन जब 'अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा' में धता बताना, तेली के कोल्हू का बैल, अपनी झंडी गाड़ना, धक्के खाना, करतल भिक्षा तरुतल वास, पैर तोड़कर बैठ जाना आदि मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो उनकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति, लौकिक ज्ञान, उनके अध्ययन विस्तार आदि का स्वतः बोध हो जाता है।

लोक जीवन के सम्पर्क का सच्चा बोध मुंशी प्रेमचन्द के मुहावरों से होता है। टाल-मटोल करना, रद्दा चढ़ाना, भूत सवार होना, आँखें पथरा जाना, अक्ल पर पत्थर मार जाना, लंगोटी बाँधकर निकल जाना (मंत्र) आदि मुहावरे उनके ग्रामीण जीवन एवं लोक सम्पर्क के परिचायक हैं।

(घ) हिन्दी लेखकों को हिन्दी के साथ उर्दू के मुहावरों के प्रयोग से कोई परहेज नहीं है।

हिन्दी में जिस प्रकार अरबी-फारसी की शब्दावली हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रविष्ट होकर हमारी लिखित अभिव्यक्ति को भी प्रभावित कर रही है उसी प्रकार अरबी-फारसी के मुहावरे भी हिन्दी निबन्धो में खूब प्रयुक्त हो रहे हैं यही कारण है कि अध्ययन के क्रम में लगभग २० उर्दू मुहावरों का प्रयोग मिला है। प्रेमचन्द आरंभ में उर्दू में लिखते थे अतः उनकी कहानियों में अरबी-फारसी के सर्व प्रचलित मुहावरों का दर्शन उनमें अधिक होता है। फिर भी उर्दू के मुहावरों पर कहीं-कहीं हिन्दी का मुलम्मा स्पष्टतः दिखायी पड़ता है यथा --'दम मारने का भी अवकाश न होना।' स्पष्ट है कि प्रेमचन्द ने 'फुर्सत' का प्रयोग न करके 'अवकाश' का प्रयोग किया है यदि कोई उर्दू दां होता तो वह अवकाश के स्थान पर 'फुर्सत' का ही प्रयोग करता। इसी प्रकार तत्सम शब्दावली का प्रयोग करने वाले लोग

प्राय: मुहावरों के प्रयोग में भी तत्समता की रक्षा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए 'कटिबद्ध होना' 'कमर कसना' से अधिक महत्त्वपूर्ण समझ पड़ता है इसी प्रकार 'निगाह से गिरने' के स्थान पर कुछ लोग (श्यामसुन्दर दास) 'दृष्टि से गिरने' को अधिक उपयुक्त मानते हैं। तात्पर्य यह है कि मुहावरे के कुछ शब्द उर्दू से हिन्दी का रूप ग्रहण करने लगे हैं।

(ङ) उपन्यासकार एवं कहानीकारों द्वारा कवियों एवं समालोचकों की अपेक्षा मुहावरों का प्रयोग अधिक किया जाता है। महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों तथा प्रसाद की कहानियों में मुहावरों का प्रयोग प्राय: नहीं के बराबर है। इसका कारण यह है कि प्रसाद जी तत्सम प्रधान एवं संस्कृतनिष्ठ शब्दावली के हिमायती हैं। कवि एवं समालोचक विशेषकर खड़ी बोली की रचनाओं में किसी गंभीर विषय की शास्त्र सम्मत चर्चा करने पर मुहावरों के सामान्य प्रयोग से बचकर चलते हैं। किन्तु कहानी और उपन्यास प्राय: हमारे सामान्य जीवन से उठने वाली घटनाओं पर आधारित होते हैं अत: जन सामान्य को प्रभावित करने कीं दृष्टि से मुहावरों का प्रयोग अधिक हो जाता है। फिर भी ये मुहावरे किसी कहानी या उपन्यास के महत्त्व को बढ़ाने में ही सहायक होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में एक रवानी आ जाती है साथ ही उसकी प्रभावोत्पादकता भी बढ़ जाती है।

निष्कर्षत: प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से मुहावरों तथा लोकोक्तियों के विषय में सामान्य जानकारी प्रस्तुत करने तथा विविध पाठों में प्रयुक्त मुहावरों की सूची देने तथा उनके प्रयोग आदि के अन्तर को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। साथ ही लेखकों की मुहावरा प्रियता का अनुमान लगाने में प्रस्तुत शोध सहायक होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

१. भोजपुरी लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे—डा० मुक्तेश्वर तिवारी।

२. हिन्दी मुहावरे - डा० प्रतिभा अग्रवाल।

३. मुहावरा मीमांसा—ओम प्रकाश गुप्त।

४. भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन—डा० कृष्णदेव उपाध्याय।

५. राजस्थानी कहावतें एक अध्ययन।

६. बोलचाल—अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।

७. हिन्दी लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे—डा० गुलाब राय एम० ए०।

८. मुहावरा संग्रह—डा० श्यामला कान्त वर्मा।
राज्य हिन्दी संस्थान उ० प्र० वाराणसी।

९. हिन्दी वाक्य विन्यास—डा० सुधा कालरा
लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद।

१०. 'वाणी' अंक ११—डा० श्यामला कान्त वर्मा का लेख—
मुहावरे बोलते हैं—राज्य हिन्दी संस्थान उ० प्र० वाराणसी।

●